छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हॉस्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2227600 ईमेल **snrc.cg@gmail.com**, *वेबसाइट* **www.cgnrc.org**

क्रमांक / रजि0 नर्सिंग कां0 / निरीक्षण / 2021 / 3026 रायपुर, दिनांक 17 / 8 / 2021

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
समस्त शासकीय / निजी
नर्सिंग महाविद्यालय / प्रशिक्षण केन्द्र
छत्तीसगढ़

विषय :– **राज्य में संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों / प्रशिक्षण केन्द्रों का पता बदलने के संबंध में**

संदर्भः– **1. भारतीय उपचर्या परिषद् के पत्र क्रं. F.No. 1-5/2014-INC, Dated 29.10.2014**

2. भारत का राजपत्र, भारतीय उपचर्या परिषद् के अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई 2021।

––00––

संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में लेख है कि राज्य में संचालित नर्सिंग संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे संस्था जो स्वयं के भवन में स्थानांतरित या संस्था का पता बदलने की स्थिति में उक्त की जानकारी छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आवेदन कर किया जावें।

नर्सिंग संस्थाओं का पता बदलने संबंधित प्रमाण पत्र काउंसिल द्वारा जारी किया जावेगा जिसके लिए निम्न दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगाः–

1. पता बदलने संबंधी आवेदन जिसमें पुराना पता व नया पता स्पष्ट दर्शित हो।
2. शपथ पत्र (100 / – रू. स्टॉम्प पेपर में नर्सिंग संस्थान के मालिक द्वारा)
3. नये भवन का कुल आच्छादित क्षेत्र व आकार के साथ प्रयोगशालाओं, अध्ययन कक्षों आदि के साथ–साथ पर्याप्त शौचालयों की सुविधा, प्रकाश और वायु संचालन की व्यवस्था आदि स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए।
4. भवन की पूर्णतया प्रमाण पत्र (शास. / निजी आर्किटेक्ट द्वारा जारी)
5. पता का प्रमाणीकरण पत्र (कर रसीद, बिजली बिल या जमीन की पर्ची)
6. संस्था का फोटोग्राफ।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही नया पते पर काउंसिल द्वारा संस्था का निरीक्षण कर अनुमति प्रदान किया जायेगा।

संलग्न :– छायाप्रति उपरोक्तानुसार।

Dhanoriya 19/8/2021

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छत्तीसगढ़

भारतीय नर्सिंग परिषद्
संयुक्त परिषद् भवन, कोटला रोड,
टेम्पल लेन, नई दिल्ली - 110002

INDIAN NURSING COUNCIL
COMBINED COUNCIL BUILDING, KOTLA ROAD,
TEMPLE LANE, NEW DELHI – 110002

नर्सिंग शिक्षा के समान स्तर को प्राप्त करने का प्रयास
Striving to achieve uniform standards of Nursing Education

RESOLUTIONS

F. No.1-5/2014-INC **Dated: 29/10/2014**

To,

The Principal,
School of Nursing/College of Nursing

Subject: Implementation of Nursing Educational Standards – resolutions reg.

The Resolutions approved by governing body for implementation of nursing educational standards is enclosed for your information and necessary action.

Yours Faithfully

SECRETARY

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail – secy2010@indiannursingcouncil.org
Phone: 011-23235619, 23235570, 23220075, 23220076 Fax: 011-23236140

14. Change of Address

- State Nursing Council shall issue a certificate certifying the fact that the nursing institution is being shifted to the new building at the address indicated. The certificate issued should indicate clearly total covered area of the building, number of rooms along with area specification, provision of adequate washroom facilities, lighting, ventilation etc.

- Change of location (district/town/city/village) shall be considered under new proposal, and will not come under calendar of events or new guidelines, after the permission of the institution in previous location. That is guidelines of the year wherein institution was permitted will be applicable.

15. Change of Name of the Institution

- If SNRC/University have accepted the change of name of institute it may be accepted by Indian Nursing Council provided the trust/society is same & does not come under resolution No.13.

16. Closure of the nursing educational programme

- If, no admission are made for two consecutive academic years then it shall be considered as closed. If the institution wants to restart the programme they have to submit the first inspection fees within 5 years i.e, from the year they did not have admissions. Guidelines of the year wherein institute was first permitted will be applicable.

17. To start a Nursing Programme from 2013-2014

- Institute shall have 100 bedded parent hospital for opening new GNM/B.Sc.(N) programme. However, this will not affect the institutions which have been established without parent hospital.
- For GNM/B.Sc. 100 bedded parent/own hospital will be exempted for the hilly areas in the states namely; Jammu and Kashmir, Uttaranchal, Himachal Pradesh and North Eastern States and scheduled tribal areas.
- Institutions under state government and central government wants to start or open M.Sc.(N) department they are exempted of

4. अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात, पात्र संस्थान को संबंधित एसएनआरसी से वांछित शैक्षणिक वर्ष के लिए बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता लेनी होगी, जोकि एक अनिवार्य आवश्यकता है।

5. परिषद् द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों/प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 13 के तहत मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप अध्यापन संकाय और नैदानिक एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए वैधानिक निरीक्षण किया जाएगा।

***बशर्ते कि प्रशिक्षण संस्थान एसएनआरसी से मान्यता प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर अधिनियम की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण के लिए परिषद् को आवदन करेगा।**

1. **मूल अस्पताल (ऐकिक/एकल अस्पताल)**

नर्सिंग कॉलेज में 100 शैय्या वाले मूल/स्वयं का अस्पताल होना चाहिए जो अनिवार्य आवश्यकता है।

नर्सिंग संस्थान के लिए मूल अस्पताल उसी ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा नर्सिंग संस्थान और अस्पताल दोनों की स्थापना की गई हो।

या

ट्रस्ट/सोसाइटी/धारा 8 के तहत कंपनी द्वारा प्रबंधित नर्सिंग संस्थान के लिए, 'मूल अस्पताल' से तात्पर्य है कि अस्पताल ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाला होगा या फिर ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के किसी ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित होगा। यदि अस्पताल का स्वामी ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी का ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक है, तो अस्पताल नर्सिंग संस्थान के संचालन तक 'मूल अस्पताल' के रूप में कार्य करता रहेगा।

ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी का ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक को ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के सभी ट्रस्टियों/सदस्यों/ निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का वचनपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी का ट्रस्टी/ सदस्य/निदेशक अस्पताल को किसी अन्य नर्सिंग संस्थान के 'मूल/संबद्ध अस्पताल' की मान्यता के लिए अनुमति नहीं देगा और यह वचनपत्र कम से कम 30 वर्ष के लिए वैध होगा।

मूल अस्पताल की सभी शैय्या एक ही अस्पताल में अर्थात एक ही भवन/एक ही परिसर में होंगे। इसके अलावा, मूल अस्पताल उसी राज्य में होगा जहां संस्थान स्थित है।

अ) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बार किसी विशेष अस्पताल को "मूल अस्पताल" के रूप में दिखाया जाता है और नर्सिंग संस्थान को नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाती है, तो दी गई अनुमति/उपयुक्तता तब तक रहेगी जब तक कि उक्त अस्पताल "मूल अस्पताल" के रूप में संबद्ध है।

ब) यदि ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी का ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक दिए गए वचनपत्र को खारिज करता है तो ऐसी स्थिति में, जारी किया गया अनुमति/ उपयुक्तता पत्र भी कालातीत माना जाएगा/तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा।

2. **ट्रस्ट/सोसाइटी में बदलाव**

- भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार किसी भी ट्रस्ट/सोसायटी को खरीदा नहीं जा सकता है, हालांकि ट्रस्टी/सदस्य बदल सकते हैं। इस आधार पर, कार्यक्रम की निरंतरता के लिए संस्था की खरीद या सदस्यता में बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे संस्थान जिसको खरीद लिया गया हो अथवा जिसका प्रबंधन हस्तांतरित हो गया हो, उसे बंद माना जाएगा। और ट्रस्ट/सोसायटी के नाम के साथ–साथ कार्यक्रमों के नाम के उल्लेख के साथ एक नया सरकारी आदेश प्राप्त करना होगा।
- सोसायटी के सदस्यों या ट्रस्ट के ट्रस्टियों में बदलाव की सूचना रजिस्ट्रार सहकारी समितियां/भारतीय न्यास अधिनियम के तहत निगमित होने के तुरंत बाद प्रस्तुत करनी होगी।
- कानूनन ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा कई संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें एक ट्रस्ट/सोसायटी के दायरे में एक ही संस्थान माना जाएगा। इसके अलावा, एक ट्रस्ट/सोसायटी एक शहर या नगर में केवल एक ही नर्सिंग संस्थान खोल सकता है।
- यदि किसी शहर या नगर में पहले से ही एक संक्षिप्त नाम (जैसे आर के कॉलेज ऑफ नर्सिंग) के साथ एक संस्थान मौजूद है तो विस्तारित नाम (जैसे राम कृष्ण कॉलेज ऑफ नर्सिंग) के साथ एक अन्य संस्थान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- एक ही शहर/नगर में एक ही नाम से कोई भी दो संस्थान नहीं हो सकते हैं।

3. **पते में बदलाव**

एसएनआरसी इस तथ्य को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि नर्सिंग संस्थान को संकेतित पते पर नए भवन/परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है। जारी किए गए प्रमाण पत्र में पूर्ण पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। जारी किए गए प्रमाण पत्र में नर्सिंग संस्थान के कुल आच्छादित क्षेत्र, नर्सिंग संस्थान के मालिक, और नए भवन मे आकार के साथ प्रयोगशालाओं, अध्ययन कक्षों आदि के साथ–साथ पर्याप्त शौचालयों की सुविधा, प्रकाश और वायु–संचालन की व्यवस्था आदि स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।

4. **स्थान में बदलाव**

जिला, नगर, शहर या गांव में बदलाव को नया प्रस्ताव माना जाएगा, यानी राज्य सरकार से नया अनिवार्यता प्रमाणपत्र और एसएनआरसी से नई मान्यता लेना अनिवार्य है।

5. **परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का कड़ाई से अनुपालन**

कोई भी संस्थान/एसएनआरसी/विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में संशोधन नहीं करेगा। हालांकि वे जरूरत पड़ने पर इकाई/विषय जोड़ सकते हैं।